

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल-986/2013)/अलेसे-II/341

दिनांक :- 28.2.2023

कार्यालय आदेश

निम्नांकित गृहांक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10957	लोकेश कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	एम.कॉम (प्रथम वर्ष) ए.बी.एस.टी (स्वर्यपाठी) 2022-23	पंडित दीन दयाल विश्वविद्यालय, सीकर	पंचायत समिति खण्डेला, सीकर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पादेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 28.2.2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल-986/2013)/अलेसे-II/341

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पंचायत समिति खण्डेला, सीकर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री लोकेश कुमार, स.ले.अ.ग्रेड-II पंचायत समिति खण्डेला, सीकर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
 (दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-1858/2013)/अलेसे-II/342

दिनांक :- 28-2-2023

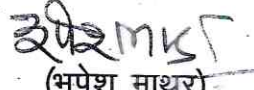
कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11361	महेन्द्र कुमार कडेला सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	MLIS (Library and information Science) प्रवेश सत्र जनवरी-2023 (ए-ब्लॉक)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा राजस्थान	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जैसलमेर
			SET EXAM 2023 (Library and information Science)	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	
			NET JUNE 2023 (Library and information Science)	UGC/NTA	

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


 (भूपेश माथुर)
 निदेशक एवं पादेन
 संयुक्त शासन सचिव
 दिनांक :- 28-2-2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-1858/2013)/अलेसे-II/342

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जैसलमेर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री महेन्द्र कुमार कडेला, स.ले.अ.ग्रेड-II सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जैसलमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 (के.जी. गुप्ता)
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल-34/2013)/अलेसे-11/343

दिनांक :- 28.2.2023

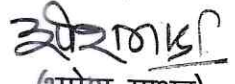
कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	9972	लोकेश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11	एम.कॉम (आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन) प्रिवियस (स्वयंपाठी) 2022-23	राजस्थान विश्वविद्यालय	जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अलवर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पादेन
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :- 28.2.2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल-34/2013)/अलेसे-11/343
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला अल्पसंख्यक मामलाल विभाग, अलवर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री लोकेश गुप्ता, स.ले.अ.ग्रेड-11 जिला अल्पसंख्यक मामलाल विभाग, अलवर।
4. उपनिदेशक (एसपीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)